1312 मार्ग

न्यायालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

निगरानी टीए/झुंझुनू/2011/2991

अमर सिह पुत्र भानाराम जाट निवासी ओजटू तहसील चिडावा जिला झुंझुनू ।

बनाम

1– डालूराम पुत्र मालाराम जाति धावक (छाणफ) तहसील चिडावा जिला झुंझुनू ।

2– उम्मेद }
3– हजारी } पुत्रान खम्भा जाट निवासी ओजटू तहसील चिडावा जिला झुंझुंनू ।
4– बलबीर }

5– पितराम }
6– हीरालाल } पुत्रान इमारता राम जाट निवासीगण ओजटू तहसील चिडावा जिला झुंझुनू ।
7– शुभकरण }

8– ओमवती बेवा राजू जाट }
9– मनिन्द्र } पुत्रान राजू जाट }
10– राहुल } } समस्त निवासीगण ग्राम ओजटू तहसील चिडावा जिला झुंझुनू
11– कुरडा पुत्र गोरधन जाट }
12– चूना पुत्र किश्ना जाट }

13– तहसीलदार चिडावा लैण्ड होल्डर जिला झुंझुनू

अभिभावक
के द्वारा आज
दिनांक 5/5/11
राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी चिडावा दिनांक 25.3.11

श्रीमान्जी,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

अ– यह कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 334 रकबा चौतीस बीघा नौ बिस्वा के संबंध में वाद संख्या 46/75 राज्य सरकार बनाम खम्भाराम वगैरह के प्रस्तुत हुआ । उक्त वाद में राज्य सरकार वादी सं01 के रूप में दर्ज थी उक्त वाद उपखण्ड

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में

(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज ID No. 2011/2991	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
18-8-2011	<u>**एकलपीठ**</u> **श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य** पत्रावली प्रस्तुत। दिनांक 14.7.2011 को अप्रार्थी सं. 1 जरिये अभिभाषक प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री आत्माराम शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया। शिघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के अभिभाषकगण को सुना गया। निर्णय सुरक्षित रखा गया। 18/8/11 (मूलचन्द मीणा) सदस्य	
19-8-2011	<u>**एकलपीठ**</u> **श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य.** पत्रावली प्रस्तुत। शीघ्र सुनवाई के बिन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने और प्रार्थीपक्ष की तरफ से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने के बाद हमारा निष्कर्ष है कि प्रकरण में 21.10.2011 की दिनांक निर्धारित है और उक्त दिनांक हेतु जारी किये गये नोटिसेज की अप्रार्थीगण सं. 2 से 12 की तामील होकर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। साथ ही अप्रार्थी सं.1 की तरफ से शीघ्र सुनवाई के लिये जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें ऐसे कोई ठोस कारण भी अंकित नहीं किये हैं कि प्रकरण में निर्धारित तारीख से पूर्व सुनवाई क्यों आवश्यक है और ना ही शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र के नोटिस ही जारी कराये गये है। ऐसी परिस्थिति में शीघ्र सुनवाई बाबत् विचाराधीन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली निर्धारित दिनांक 21.10.2011 को जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत हो। 19/8/11 (मूलचन्द मीणा) सदस्य	